न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-353/2026
Gamharia P.S. Case No.-45/2026

1. **मीना देवी, उम्र करीब 48 वर्ष, पति–भूषण यादव**
2. **भूषण यादव, उम्र करीब 55 वर्ष, पिता– दुखी यादव**
3. **सुशांत कुमार, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता– भूषण यादव**
4. **राजा कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता– भूषण यादव**
   (सभी साकिन –टोक सिंहपुर, थाना– गम्हरिया एवं जिला– मधेपुरा।)

.....अभियुक्तगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

27-07-2026 जमानत आवेदन अभियुक्तगण मीना देवी, भूषण यादव, सुशांत कुमार एवं राजा कुमार के द्वारा गम्हरिया थाना कांड संख्या–45/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 74, 352, 351(2)/3(5) बी.एन.एस में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 24.02.2026 शाम के समय खेत पर गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि उसके गेहूं लगे खेत में पानी छोड़ दिया जिसमें उसका फसल खराब हो रहा था। जिस बात का शिकायत लेकर भूषण यादव से करने गया। उसी बात को लेकर वो बोले जो मन होगा करेंगे और उसके साथ गाली–गलौज करने लगा। जिसका वह विरोध किया उसी क्रम में भूषण यादव, सुशांत कुमार, राजा कुमार एवं मीना देवी सभी घेरकर मारपीट करने लगा। किसी तरह से वहां से भागकर अपने घर चला गया और पीछा करते हुए उक्त सभी लोग उसके घर घुसकर जान मारने की नियत से भूषण यादव उसके सर पर बांये तरफ मारा जिससे सर फट गया और खून बहने लगा। पीछे से मीना देवी रड से वार कर दिया। जिससे उसका पीछे दो जगह सर फट गया। बीच बचाव करने के क्रम में उसकी मां के साथ उपरवर्णित सभी व्यक्ति मिलकर उसकी मां के साथ मारपीट किया। उसकी मां का ब्लाउज फाड़ दिया तथा साड़ी खींचकर अर्धनग्न कर दिया। उसकी मां अधमरा होकर जमीन पर गिर गया। उसके घर पर रखा हुआ अलमीरा में 50,000/– रूपया तथा चांदी का चेन लुट लियां उसके बाद ग्रामीण के द्वारा उसे अस्पताल पहुंचा दिया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध गम्हरिया थाना कांड संख्या–45/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 74, 352, 351(2)/3(5) बी.एन.एस के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार पोद्दार, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि पूर्व में आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन न तो दाखिल किया गया है और न माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है और न लम्बित है वो न खारिज हुआ है। आवेदकगण पुर्णतः निर्दोष है एवं कोई अपराध नही किया है जैसा उसके विरूद्ध आरोप लगाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदकगण को गंदी ग्रामीण राजनिति के कारण फंसाया गया है। मामला दोनो पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। धारा–109, 303(2), 74 को छोड़कर शेष

**न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।**

लगातार...
27.07.2026

धाराएं जमानतीय प्रकृति का है। आवेदकगण अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध गाली–गलौज कर मारपीट कर सर फोर कर जख्मी कर देने व रूपया ले लेने का आरोप है। *Pappu Kumar received lacerated wound with bleeding red in color on right side of frontal head 3 cm x ½ cm x 4 cm, lacerated wound with bleeding red in color on occipital region 1.5 cm x 4 cm x 1/8 cm, abrasion red in color on left knee 1.5 cm x 1/16 cm. Opinion kept reserved till expert opinion arrives and patient referred to JNKTMCH, Madhepura. Patient was referred to JNKTMCH, Madhepura and NCCT of Head done which shows no significant abnormality in brain parenchyma. Therefore injury simple in nature and caused by hard and blunt object.*

Tara Devi sustained swelling and tenderness on left arm 5 cm x 1½ cm complaining pain on back. All injuries are simple in nature caused by hard and blunt object.

Para 37 of case diary stated no criminal antecedent against petitioner.

In view of fact and circumstances of case and nature of injury sustained by victim no. 01 Pappu Kumar, I do not think that present case is fit for anticipatory bail. However petitioners are directed to surrender before the Trial Court and seek regular bail within 15 days from this order. The Trial Court shall consider the plea for regular bail on its own merit without being prejudiced from their order.

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I
Madhepura